प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित -

श्री अशोक कुमार कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थी

श्री हर्ष सोनी अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 01

निर्णय

दिनांक :- 18.06.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की सयुक्त सामलाती खातेदारी की भूमि तहसील आऊ के पटवार हल्का ईन्दो का बास के राजस्व ग्राम पाबूनगर के खसरा नम्बर 1436 रकबा 7.7619 हैक्टेयर स्थित है उक्त खसरा की भूमि के चिपता चिपत तथा अप्रार्थीगण की एकल खातेदारी कब्जा काश्त भूमि तहसील लोहावट के पटवार मण्डल पल्ली के राजस्व ग्राम जेरीया के खसरा नम्बर 53/2 रकबा 1.4002 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 1436 व अप्रार्थी के खसरा नम्बर 53/2 अलग अलग तहसील की सरहद पर स्थित है दोनो खसरान के बीच की सीमा दोनो तहसीलो की सरहद है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1436 के चिपता चिपत दक्षिण पश्चिम की तरफ अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि तहसील लोहावट के राजस्व ग्राम जेरीया की सरहद में खसरा नम्बर 53/2 स्थित है खसरा नम्बर 53/2 के दक्षिणी सीमा पर कदाणी रास्ता है जिस पर डामर सड़क बनी हुई है।

प्रार्थी के खसरा नम्बर 1436 में आवागमन का रास्ता नही होने से प्रार्थी ने आवागमन के लिए अप्रार्थीगण संख्या 01 से डामर सड़क तक खसरा नम्बर 53/2 में से नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क ए से बी दिये जाने का निवेदन किया। तो अप्रार्थीगण संख्या 01 ने खसरा नम्बर 53/2 जो प्रार्थी के खसरा नम्बर 1436 व सड़क के बीच में पड़ता है में से रास्ता परस्पर सहमति से दिया जाना इन्कार कर दिया। तथा ऐलानिया कहा गया की यहा से कोई रास्ता नही दुगां ऐसा कहकर अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी द्वारा चाहे रास्ते के स्थान को अवरूद्ध कर दिया। प्रार्थी के अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए कोई दुसरा वैकल्पिक रास्ता नही है मार्क ए से बी प्रार्थी की भूमि के सर्वाधिक निकटतम एवं लघुतम रास्ता है। प्रार्थी ने मार्क ए से बी 30 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया।

सहायक कलक्टर
लोहावट जिला फलौदी

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को सम्मन जरीये रजिस्टर्ड एडी से भेज कर तलब किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण को भेजे गये सम्मन की एक प्रति के न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की जो शामिल मिसल की गयी। तहसीलदार लोहावट से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

अप्रार्थीगण संख्या 01 की तरफ से अधिवक्ता श्री हर्ष सोनी ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने मध्य लोकअदालत की भावना से हुए राजीनामा को पेश किया और राजीनामा के साथ सलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार मार्क ए से बी 30 फुट चौड़ा रास्ता निःशुल्क दिये जाने हेतु अपनी सहमति दी। प्रार्थी की पहचान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार कछवाहा व अप्रार्थी संख्या 01 की पहचान अधिवक्ता श्री हर्ष सोनी द्वारा की गयी। दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 01 के अधिवक्ताओ ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 53/2 में से 30 फुट का रास्ता चाहा गया है ओर खसरा नम्बर 53/2 के खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 01 है अन्य अप्रार्थी प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के साथ सहखातेदार होने से बतौर परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है जिनके विरुद्ध इस प्रार्थना पत्र में कोई सरोकार नही है। तथा प्रार्थी एवं खसरा नम्बर 53/2 के खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 01 के मध्य राजीनामा हो जाने से प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नही रही है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजीनामा अनुसार प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन एवं मनन प्रार्थी ने खसरा नम्बर 53/2 में से 30 फुट रास्ता चाहा है ओर खसरा नम्बर 53/2 का खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 01 है। अप्रार्थीगण संख्या 01 व प्रार्थी ने परस्पर सहमति से लोकअदालत की भावना से राजीनामा कर राजीनामा के सलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क ए से बी 30 फुट चौड़ा रास्ता निशुल्क दिये जाने पर राजी है। खसरा नम्बर 1436 में प्रार्थी के साथ परफोर्मा अप्रार्थीगण भी खातेदार होने से प्रकरण में पक्षकार बनाये है जिनके विरुद्ध कोई रिलीफ प्रार्थी की नही है। प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजीनामा के साथ सलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क ए से बी 30 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नम्बर 53/2 ग्राम जेरीया में से निःशुल्क स्वीकृत किया जाना उचित है।

सहायक कलक्टर
लोहावट [illegible] फलौदी

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 53/2 रकबा 1.4002 हैक्टेयर भूमि में से राजीनामा के सलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क ए से बी तक 30 फुट चौड़ा रास्ता निःशुल्क स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार लोहावट को आदेश दिया जाता है कि ग्राम जेरीया के खसरा नम्बर 53/2 रकबा 1.4002 में से नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क ए से बी 30 फुट चौड़ा व मार्क ए से बी के मध्य की लम्बाई की गणना पश्चात प्राप्त रकबे को राजस्व रेकॉर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावें। राजीनामा का नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

मांगीलाल (आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लोहावट जिला फलोदी

Scanned with CamScanner